

14/9/2020


कोकि-13 संकल्प के कारण इज्जतारी पेशी की जाते पर पत्रावली प्राप्त पेश हुई। वरुदास उपा। तहसीलदार खंडेला से जवाब प्राप्त। सुना ली गई। पत्रावली वास्ते पेश होने किडसा रिपोर्ट/जवाब हेतु दिनांक 17/9/2020 को पेश हो।

19/9/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। तहसीलदार खंडेला से बिनुवार जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में बयान वकील वादी सुनवाई सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/9/2020 को पेश हो।

21/9/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। प्रकरण में बयान पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिमाई. दरखावेजात तथा तहसीलदार खंडेला से प्राप्त बिनुवार जवाब का अवेकोमन किया गया एवं बयान वकील वादी पर सगौर मनन किया गया बिस्से वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैलल शुमार होम्बर नम्बर से कम हो तथा वाद तहसील शाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 21/9/2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश कुमार)  
सहायक कलेक्टर RAS  
स्थापक न्यायाधीश  
(फास्ट ट्रेक) खंडेला